

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक—एफ.1(38)परि./स्था./2008/

जयपुर, दिनांक

आदेश

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के अन्तर्गत वरिष्ठ लिपिक से कार्यालय सहायक के पद पर पदोन्नति हेतु पूर्व सम्पन्न विभागीय पदोन्नति समिति की पुनरावलोकन बैठक दिनांक 28.03.2018 को सम्पन्न हुई। समिति की सिफारिश के अनुसार निम्नलिखित वरिष्ठ लिपिकों को कार्यालय सहायक के पद पर एतद् द्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

वर्ष 2010–11

1. श्री जगदीश प्रसाद खंगार

श्री खंगार का नाम वर्ष 2010–11 की चयन सूची में क.सं. 1 श्री सुरेश कानूनगो के नीचे व क.सं. 2 श्री लाजरस डोडियार, अजजा के ऊपर स्थापित किया जाता है। श्री खंगार की पदोन्नति पूर्व में वर्ष 2011–12 की रिक्ति के विरुद्ध की गई थी। वर्ष 2010–11 में पदोन्नति के फलस्वरूप इनका नाम वर्ष 2011–12 की चयन/पदोन्नत सूची से विलोपित किया जाता है।

वर्ष 2011–12

1. श्री छगन लाल बैरवा, अजा

श्री छगन लाल बैरवा का नाम वर्ष 2011–12 की चयन सूची में क.सं. 1 श्री प्रेमकुमार माहुर के नीचे स्थापित किया जाता है। श्री बैरवा की पर्दोन्नति पूर्व में वर्ष 2012–13 की रिक्ति के विरुद्ध की गई थी। वर्ष 2011–12 में पदोन्नति के फलस्वरूप इनका नाम वर्ष 2012–13 की चयन/पदोन्नत सूची से विलोपित किया जाता है।

वर्ष 2012–13

1. श्री परशुराम नामा (सेवानिवृत्त 30.09.2013)

श्री नामा का नाम वर्ष 2012–13 की चयन सूची में क.सं. 1 पर स्थापित किया जाता है।

2. श्रीमती मीना अडवानी

श्रीमती अडवानी का नाम वर्ष 2012–13 की चयन सूची में क.सं. 2 पर श्रीमती मंजुलता शर्मा के ऊपर स्थापित किया जाता है।

3. श्री रामसिंह शेखावत

श्री शेखावत का नाम वर्ष 2012–13 की चयन सूची में श्री ओमप्रकाश यादव के ऊपर स्थापित किया जाता है।

4. श्री ओमप्रकाश यादव

श्री यादव का नाम वर्ष 2012-13 की चयन सूची में क.सं. 3 श्री नरेश कुमार नागर के नीचे स्थापित किया जाता है। वर्ष 2012-13 में पदोन्नति के फलस्वरूप श्री यादव का नाम वर्ष 2013-14 की चयन/पदोन्नत सूची से विलोपित किया जाता है।

वर्ष 2013-14

1. श्री बिजेन्द्र सिंह शेखावत

श्री शेखावत का नाम वर्ष 2013-14 की चयन सूची में श्री भगवान राम गोदारा के नीचे स्थापित किया जाता है।

पदोन्नत कार्मिक अग्रिम आदेश तक अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्यरत रहेंगे। सभी पदोन्नत कार्मिक अपने पद का कार्यग्रहण दिनांक 05.04.2018 तक कर लेवें एवं उसकी सूचना आवश्यक रूप से इस कार्यालय को भिजवादे अन्यथा पदोन्नति आदेश निरस्त किये जा सकते हैं।

श्री जमन सिंह (2010-11) के विरुद्ध जारी जांच विचाराधीन होने से इनका प्रकरण यथावत सील्ड कवर में रखा गया है।

श्री बीरबल सिंह के विरुद्ध जारी सीसीए नियम 16 की जांच दिनांक 16.11.2007 में आदेश पारित कर सेवा से पदच्युत किया गया है।

श्रीमती प्रेमलता चौहान (सेवानिवृत्त दिनांक 31.07.2012) व श्री बाबूलाल शर्मा पुत्र श्री भौंरी लाल शर्मा की एसीआर व अन्य सेवा अभिलेख पूर्ण नहीं होने से इनके प्रकरण वर्ष 2012-13 में व श्री गिर्ज ग्रसाद शर्मा का प्रकरण वर्ष 2013-14 में डैफर किया गया है।

—Sc—

(डॉ. मनीषा अरोड़ा)
अपर परिवहन आयुक्त(प्रशा.)
एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक—एफ.1(38)परि./स्था./2008/८८२२-८८२४

जयपुर, दिनांक २१/५/१४

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री, राजस्थान, जयपुर
2. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं अति. मुख्य सचिव महोदय
3. निजी सहायक, अपर परिवहन आयुक्त(प्रशासन) एवं संयुक्त शासन सचिव
4. संबंधीत प्रादेशिक परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी
5. संबंधित कार्मिक
6. संबंधित कार्मिक की निजी पत्रावली
7. रक्षित पत्रावली

१५
(सत्तार स्थान)
उप परिवहन आयुक्त (प्रशासन)